



This is a digitally signed Gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 22 मार्च, 2013 / 1 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 2nd March, 2012

No. 8A-7/2012-VS.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is pleased to nominate the following Press Representatives to the Press Gallery Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha for the year **2013-2014** with immediate effect:—

1. **Shri Rakesh Lohumi,**
Pr. Correspondent.

The Tribune

2. **Shri Sita Ram Khajuria,**
Staff Correspondent.

Punjab Kesari

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 3. | Mrs. Rachna Gupta,
Bureau Chief. | Dainik Jagran |
| 4. | Shri Hemant Chauhan,
Bureau Chief. | ANI, News Agency |
| 5. | Dr. Shashi Bhushan,
Bureau Chief. | Aaj Samaj |
| 6. | Shri Ashwani Sharma,
Spl. Correspondent. | Indian Express |
| 7. | Shri Gaurav Bisht,
Pr. Correspondent. | Hindustan Times |
| 8. | Shri Shakeel Querashi,
Correspondent. | Divya Himachal |
| 9. | Shri Mohinder Pratap Singh Rana,
Editor. | Gram Parivesh |
| 10. | Shri Shishu Kumar Sharma,
News Editor. | A.I.R. |
| 11. | Shri Umesh Kumar,
Sr. Correspondent. | India News |
| 12. | Shri Chaitanya Thakur,
Correspondent | Amar Ujala |
| 13. | Shri Ravinder Makhaik,
Correspondent. | Financial World |
| 14. | Smt. Monika Chauhan,
Pr. Correspondent. | Day & Night News |

BALBIR TEGTA IAS,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 15th March, 2013

No. 8A-7/2012-VS.—In continuation to this Secretariat Notification of even number dated 02nd March, 2013, the Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to nominate **Smt. Nandini Mittal**, News Editor of Doordarshan Kendra to the Press Gallery Committee of H. P. Vidhan Sabha for the year 2013-2014 with immediate effect.

BALBIR TEGTA IAS,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT. KULLU DISTT. KULLU**NOTIFICATION***Kullu, the 20th March, 2013*

No. FDS(Lic.)17-93-VI-1368-1418.—In super-session of all previous notifications & in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3 (i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Orders, 1977, I, S.C.Negi, District Magistrate, Kullu, District Kullu with a view to make the following items available to the public/ consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by the dealers in Kullu District, with immediate effect:—

Sr.No.of the articles as per Schedule-1 of the said order.	NAME OF ARTICLES		Maximum retail prices
12	A-1	Meat Bakra/Bheda	220.00 P.Kg.
	A-2	Meat Pig	110.00 P.Kg.
	A-3	Chicken/Broiler (Dressed)	150.00 P.Kg.
	A-4	Fish	120.00,P.Kg
	A-5	Fish Fried	180.00,P.Kg
	COOKED FOOD SERVED IN ANY DHABAS & ESTABLISHMENT.		
17.	A.	Chapati Tandoori (Per Chapati)	4-00
	B.	Chapati Tawa (Per Chapati)	3-50
	C.	Stuffed Prauntha (Per Prauntha)	12-00
	D.	Plain Prauntha (Per Prauntha)	10-00
	E.	Two Poori with Channa (Per Plate)	20-00
	F.	Rice-Chapati with Dal Vegetable & Kahri (full diet)	40-00
	G.	Rice Parmal (Per Plate)	15-00
	H.	Dal Ordinary (Per Plate)	15-00
	I	Dal Fried (Per Plate)	25-00
	J.	Vegetable Special (Per Plate)	30-00
	K.	Palak/Mutter Paneer (Per Plate)	40-00

	L.	Meat Plate with 5 pieces weighing 200 Gms per plate	60-00
	M.	Chicken Curry Per Plate	50-00
18.	A	Milk Per Liter (Local Supply)	22-00
	B	Milk Boiled per liter (Local Supply)	25-00
	C	Milk packed per liter	As per Printed Price
	D	Paneer	180-00 Per Kg.
	E	Curd	35-00 Per Kg.
20.	BOTTLED BEVERAGES		
	A	Cold Drink	As per Printed price
	B	Soda per bottle (Local Manufactured)	6-00

NOTE:- All the Dealers of Kullu Distt. are hereby directed to display the Rate List of above commodities conspicuously in "DEVNAGRI" script at their business premises for the information of the consumer duly signed either by the Owner/Prop./Manager.

This Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.

Sd/-
(S.C. NEGI),
District Magistrate,
Kullu, Distt. Kullu.

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री फकीरु राम, निवासी गांव व डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री खुशी देवी की जन्म तिथि 4-3-2008 है, जो कि ग्राम पंचायत मेल के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री खुशी देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मेल के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-4-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राजनो देवी पत्नी श्री गिरधारी, निवासी गांव ढलोग, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजनो देवी है जो कि ग्राम पंचायत ढलोग, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन मुहाल मेल, पटवार वृत्त मेल के रिकॉर्ड में रजनी दर्ज है, जो गलत दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-4-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नवीन कुमार सुपुत्र श्री सोभिया राम, निवासी गांव व डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री जिया देवी की जन्म तिथि 14-3-2012 है, जो कि ग्राम पंचायत गोली के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री जिया देवी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मनोला के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2013 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री व्यास देव, निवासी गांव कनयाडका, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम व्यास देव है जो कि ग्राम पंचायत टप्पर व उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कनयाडका, पटवार वृत नगाली में गलती से व्यासो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-4-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्दर सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुकन्या देवी पत्नी श्री मदन लाल, निवासी गांव बैहटना, डाकघर जियुंता, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुकन्या देवी है जो कि ग्राम पंचायत जियुंता व उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चूहन, पटवार वृत चूहन में गलती से सुन्या देवी दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-4-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्दर सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्दर सिंह राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजिन्द्र कुमार सुपुत्र स्व० श्री मुंशी राम, निवासी गांव व डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजिन्द्र कुमार है जो कि ग्राम पंचायत बलेरा व उसके स्कूल के रिकॉर्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बलेरा, पटवार वृत्त बलेरा में गलती से राजू दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-4-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्दर सिंह राणा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजमल, निवासी मुहाल ददरोली, मौजा मंझगां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—कागजात माल में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजमल, निवासी मुहाल ददरोली, मौजा मंझग्रां, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम नरेन्द्र कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख में बाबू राम दर्ज है, जोकि गलत है। इसकी दुरुस्ती की जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-4-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती कागजात माल में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जरम सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी भाटी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—कागजात माल में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।

श्री जरम सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी भाटी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम जरम सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख में जनम सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। दुरुस्ती की जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-4-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम नियमानुसार कागजात माल में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 07/2013

तारीख पेशी : 17-4-2013

शीर्षक :

श्रीमती व्यासां देवी पत्नी श्री किरपू पुत्र श्री मला, निवासी मुहाल लाहड़ वूहला, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

श्रीमती व्यासां देवी पत्नी श्री किरपू पुत्र श्री मला, निवासी मुहाल लाहड़ वूहला, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके पति का नाम ग्राम पंचायत डैई के अभिलेख में किरपू राम पुत्र वोला राम दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल लाहड़ वूहला, मौजा धीरा में किरपू पुत्र श्री मला दर्शाया गया है, जोकि गलत है। अतः मेरे पति का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल लाहड़ वूहला, मौजा धीरा में उसके नाम के आगे किरपू पुत्र श्री मला के बजाए किरपू उपनाम किरपू राम पुत्र श्री मला उपनाम वोला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 01/ना० तह/2013

तारीख दायर : 1-3-2013

तारीख पेशी : 23-4-2013

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव चलोल, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री खुशी की जन्म तिथि दिनांक 10-5-2011 है जोकि ग्राम पंचायत नाहलियां के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द की पुत्री खुशी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाहलियां के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 23-4-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश पटियाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री महाल सिंह पुत्र श्री वसन्त सिंह, निवासी गांव झिकला डिवर, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र सेहत नाम।

श्री महाल सिंह पुत्र श्री वसन्त सिंह, निवासी गांव झिकला डिवर, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत मनेई में उसका नाम हिमाल सिंह दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम महाल सिंह पुत्र श्री वसन्ता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है, बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा। तथा राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती हिमाल सिंह उर्फ महाल सिंह के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री देश राज पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव उपरला लन्ज, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र सेहत नाम।

श्री देश राज पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव उपरला लन्ज, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत लन्ज में रसीला राम दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम छुन्कू राम पुत्र श्री दुर्गू है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती रसीला राम उर्फ छुन्कू राम के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती साहवो देवी पत्नी स्व० श्री देश राज, निवासी गांव वटवल्ला, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र सेहत नाम।

श्रीमती साहवो देवी पत्नी स्व० श्री देश राज, निवासी गांव वटवल्ला, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत मनेई में उसका नाम साहवो देवी दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम तृप्ता देवी पत्नी स्व० श्री देश राज है।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है, बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती साहवो देवी उर्फ तृप्ता देवी के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री हरमेल सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव जुगियां, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र सेहत नाम।

श्री हरमेल सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, निवासी गांव जुगियां, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत मनेई में उसका नाम रुमेल सिंह दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम हरमेल सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम है।

अतः इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2013 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती रुमेल सिंह उर्फ हरमेल सिंह के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 4/13बी ऑफ 2013

श्री राजू पुत्र श्री लक्ष्मी सिंह, निवासी गांव बानण, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती ।

इश्तहार बनाम आम जनता ।

प्रार्थी श्री राजू ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम लक्ष्मी सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम लच्छु दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी ने प्रमाण में पंचायत अभिलेख, शिक्षा प्रमाण-पत्र तथा अपना ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 26-3-2013 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या सहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री राज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश

श्री खुर्शीद खान पुत्र श्री आकिल खान, निवासी गांव व डा० पारनु, तहसील अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत पारनु, तहसील अर्की प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता ।

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री खुर्शीद खान पुत्र श्री आकिल खान, निवासी गांव व डा० पारनु, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र सलमान खान की जन्म तिथि 28-6-2010 (जन्म स्थान पारनु) को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 26-3-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य

दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 8-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश

श्री देव राज पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव मान, डा0 मान, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत मान, तहसील अर्की प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री देव राज पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव मान, डा0 मान, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र रोहित पाल की जन्म तिथि 6-12-2007 (जन्म स्थान मान) को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 6-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भूप राम, निवासी गांव कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत दधोगी, तहसील अर्की प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इशतहार बनाम आम जनता।

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भूप राम, निवासी गांव कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र योग राज वर्मा की जन्म तिथि 25-3-2011 (जन्म स्थान कड़याह) को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 6-3-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

**Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh**

Case No. 7/2013

Date of Institution : 5-3-2013

Date of decision/ Pending for 10-4-2013

Shri Raj Kumar son of Shri Chheti Ram, resident of Village and P. O. Bhaugari, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
.. Applicant.

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Raj Kumar son of Shri Chheti Ram, resident of Village and P. O. Bhaugari, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his two sons namely Sahil Thakur and Sagar Thakur born on 17-12-1999 and 17-1-2001 respectively at Village and P. O. Bhaugari, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not be registered by the applicant in the birth and death record of Gram Panchayat Bhaugari, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of dates of birth of Sahil Thakur and Sagar Thakur sons of Shri Raj Kumar may submit his objection in writing in this court on or before 10-4-2013 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 5th day of March, 2013.

Seal.

NARINDER PAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

**Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh**

Case No. 6/2013 Date of Institution : 5-3-2013 Date of decision/ Pending for 10-4-2013

Shri Prabh Singh Thakur son of Shri Bhuri Singh, resident of Parveen Cottage, Suki Johari,
P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General public .. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Prabh Singh Thakur son of Shri Bhuri Singh, resident of Parveen Cottage, Suki Johari,
P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application
before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith
affidavits and other documents that his daughter namely Kumari Rajni Thakur born on 12-6-1989
at Suki Johari, P. O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of
birth could not be registered by the applicant in the birth and death record of Gram Panchayat
Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person
having any objection for the registration of date of birth of Kumari Rajni Thakur daughter of Shri
Prabh Singh Thakur may submit his objection in writing in this court on or before 10-4-2013 at
10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 5th day of March, 2013.

Seal.

NARINDER PAL,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*

**Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh**

Case No. 8/2013 Date of Institution : 7-3-2013 Date of decision/ Pending for 10-4-2013

Shri Amresh Kumar son of Shri Mata Pher Gupta, resident of C/o Thakur Sher Singh
Building, Dangyar, P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General public .. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Amresh Kumar son of Shri Mata Pher Gupta, resident of C/o Thakur Sher Singh
Building, Dangyar, P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved
an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act,

1969 alongwith affidavits and other documents that his father Shri Mata Pher Gupta son of Shri Tulsi Ram died at village Dangyar, P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of death could not be registered by the applicant in the birth and death record of Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of Shri Mata Pher Gupta s/o Shri Tulsi Ram may submit his objection in writing in this court on or before 10-4-2013 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of March, 2013.

Seal.

NARINDER PAL,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*